न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारीः—श्री विष्णु कुमार गोयल-I (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या 39 / 2015

भागचंद पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. भोजराम पुत्र स्व0 कानाराम जाति मीणा निवासी ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. रामसहाय पुत्र स्व0 कानाराम जाति मीणा निवासी ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. शंकर पुत्र स्व0 कानाराम जाति मीणा निवासी ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. बाबूलाल पुत्र स्व0 कानाराम जाति मीणा निवासी ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. श्रवण पुत्र स्व0 कानाराम जाति मीणा निवासी ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक प्रथम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 30/12/19

प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र बाबत घोषणा, रेकार्ड, दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया व उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की साबिक आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 433 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, वाके ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित था के हाल खसरा नंबर 877 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 878 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

नंबर 879 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 880 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 881 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 882 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 885/1232 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 983/1231 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.19 हैक्टैयर बने। प्रार्थी के साबिक खसरा नंबर के पास ही अप्रार्थी संख 1 लगायत 5 का साबिक खसरा नंबर 434 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा यानी 1.43 हैक्टेयर स्थित था जिसके हाल खसरा नंबर 870 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 871 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 872 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 873 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नंबर 876 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 922 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 923 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 878/1233 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 875 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 874/1285 रकबा 0.33 हैक्टैयर कुल किता 10 कुल रकबा 2.71 हैक्टेयर वाके ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बने इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की साबित आराजी भूमि से बने हाल खसरा नंबरान में 0.28 हैक्टेयर भूमि ज्यादा कर दी। प्रार्थी के साबिक खसरा नंबर 433 से बने हाल खसरा नंबर 878 में से बदर पत्रावली द्वारा प्रार्थी की 0.16 हैक्टेयर भूमि कम करके बट्टा नंबर खसरा नंबर 878/1233 रका 0.16 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के खाते में दर्ज कर दी तथा साबिक नक्शा ट्रेस से बना हाल नक्शा ट्रेस मे भी काफी परिवर्तन कर दिया। साबिक नक्शा ट्रेस में दर्शाये गये रासते को हाल नक्शा ट्रेस में गलत रूप से बना दिया गया जबकि दौराने सेटलमेंट भू–प्रबंध अधिकारियो व कमचारियो को रिकार्ड ऑफ राईटस में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। इस कारण उन्होने अपने अधिकारिता से बाहर जाकर यह कार्य किया है जो कानून गलत है। दिनांक 05.05.2015 को प्रार्थी की साबिक कृषि भूमि से बने हाल खसरा नंबर 878/1233 रकबा 0.16 हैक्टेयर पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 आये और प्रार्थी की बनी हुयी मेड को तोडकर कब्जा करने लगे। प्रार्थी ने जब उनका मना किया तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थी के साथ गाली गलौच करने लगे तथा मारपीट करने पर उतारू हो गये और उन्होने कहा कि उक्त भूमि हमारे नाम से हमने लगवा ली है अब हम उक्त भूमि पर कब्जा करके रहेगें उस समय तो हल्ला सुनकर कुछ व्यक्ति मौके पर आ गये जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 मौके से चले गये और जाते जाते धमकी दी कि हम उक्त भूमि पर कब्जा करके रहेगें। इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। प्रार्थी घोषणा करवाने का अधिकारी है कि प्रार्थी के साबिक खसरा नंबर 433 के अनुसार व साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार बने हाल खसरा नंबर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

878/1233 रकबा 0.16 हैक्टेयर जो कि प्रार्थी के हाल खसरा नंबर 878 में से कम करके अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 5 के नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित कर दी उसको वापस अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की आराजी में कम कर प्रार्थी के हाल खसरा नंबर 878 के अन्दर जोडा जाकर प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जावे तथा जब तक उक्त खसरा नंबर 878/1233 रकबा 0.16 हैक्टैयर कि खातेदारी प्रार्थी के नाम से नही हो जाती है तब तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त खसरा नंबर को किसी दीगर व्यक्ति के नाम से रहन विक्रय, इकरारनामा नही करे तथा न ही अर्सेदराज से बनी प्रार्थी की मिट्टी की मेड को तोडकर उक्त भूमि पर कब्जा करे तथा प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। अप्रार्थी संख्या 6 को उक्त खसरा नंबर के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी संख्या 7 को उक्त खसरा नंबर का विक्रय पत्र रहन इकरारनामा इत्यादि किसी दीग व्यक्ति के नाम से तस्कदी नही करने बाबत पाबंद फरमाया जावें। वाद कारण दिनांक 05.05.2015 को जब शुरू हुआ तक अप्रार्थी संख 1 लगायत 5 ने विवादित खसरा नंबर पर मेड तोडकर जबरन कब्जा करना चाहा से शुरू होकर निरंतर जारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 433 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर में स्थित होना स्वीकार है। उक्त भूमि के भू–प्रबंध विभाग के क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र के अनुसार हाल खसरा नंबर 877 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 878 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 879 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 880 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 881 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 882 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 885/1232 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 983/1231 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर बनना स्वीकार है। यहां यह उल्लेखनीय है कि साबिक खसरा नंबर 433 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के दौराने भू–'प्रबंध कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर बनाया है जो कि साबिक रकबे से 0.05 हैक्टेयर भूमि अधिक है। हाल खसरा नंबर में से खसरा नंबर 878 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से हिस्सा 4780/7400 का विक्रय भारती देवी पत्नि रामसिंह जाति मीना निवासी ग्राम जयसनी, तहसील टोडाभीम जिला करौली व सुनीता पत्नि हीरालाल जाति मीना ग्राम गज्जुपुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली को कर दिया तथा खसरा नंबर 881 रकबा 0.14 हैक्टेयर में

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

से विक्रय करने पर भारती देवी पत्नि रामसिह जाति मीना व सुनीता देवी पत्नि हीरालाल जाति मीना को हिस्सा 620/1400 का बेचान कर दिया। जिसके नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में जरिये नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 17.10.2016 रेकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नंबर 878 रकबा 0.2550 हैक्टेयर, खसरा नंबर 878/2 रकबा 0.0070 हैक्टेयर, खसरा नंबर 881 रकबा 0.075 हैक्टेयर, खसरा नंबर 881/3 रकबा 0.0030 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर की खातेदारी भाग चंद पुत्र मोतीराम के नाम, खसरा नंबर 878/1 रकबा 0.4780, खसरा नंबर 881/2 रकबा 0.0620 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर की खातेदारी भारती देवी पत्नि रामसिंह जाति मीना व सुनीता देवी पत्नि हीरालाल जाति मीना के नाम जरिये विभाजन के नामान्तकरण 267 दिनांक 27.10.2016 से दर्ज है। खसरा नंबर 878/1 रकबा 0.4780, खसरा नंबर 881/2 रकबा 0.0620 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर की खातेदारी जेडीए के नाम दर्ज है। खसरा नंबर 433 के नजदीक की खसरा नंबर 434 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित होना स्वीकार है। जिसके भू–प्रबंध विभाग के क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र के अनुसार खसरा नंबर 870 रकबा 0.06 हैक्टैयर, खसरा नंबर 871 रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा नंबर 872 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 873 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नंबर 876 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 922 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 923 रका 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 878/1233 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 875 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 874/1285 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 2.71 हैक्टेयर बनना स्वीकार है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि साबिक खसरा नंबर 377/463 रकबा 17 बीघा भूमि जिसके भू–प्रबंध विभाग के क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र के आधार हाल खसरा नंबर 945 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 946 रकबा 3.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 947 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 948 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1134/1165 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 949/1248 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1100/1249 रकबा 2.27 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 4.07 हैक्टेयर बने है जो साबिक रकबे से 0.23 हैक्टेयर कम है। उक्त साबिका खसरा नंबर 377/463 रकबा 17 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार रामनारायण पुत्र भंवरिया जाति मीणा थे जिनके द्वारा दिनांक 06.04.1979 द्वारा विक्रय किये जाने पर केता कल्याण सहाय, बाबूलाल, पांचूराम पुत्रान ग्यारसीलाल के नाम दर्ज हुई। उक्त केता कल्याण सहाय, पांचू ने अलग–अलग पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 23.12.1988 एवं 16.12.1986 द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 श्रवणलाल पुत्र कानाराम को हिस्सा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

2/3 विक्रय कर दी तथा बाबूलाल की पत्नि श्रीमती भौरी देवी ने अपना हिस्सा 1/3 का विक्रय जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1980 को केत्री श्रीमती रामप्यारी पत्नि श्रवणलाल को बेचान कर दिया। इस प्रकार खसरा नंबर 377/463 रकबा 17 बीघा भूमि के खातेदार हिस्सा 2/3 अप्रार्थीगण संख्या 5 श्रवणलाल व हिस्सा 1/3 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 5 की पत्नि रामप्यारी है जो वर्तमान में भी उक्त क्रयशुदा भूमि 17 बीघा संपूर्ण पर काबिज काश्त है। दौराने सेटलमेंट उक्त भूमि का रकबा 0.23 हैक्टेयर कम हुए रकबे की दुरुस्ती हेतु अप्रार्थी संख्या 5 व उसकी पत्नि द्वारा कानूनी कार्यवाही के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त जवाब प्रस्तुत है। प्रार्थी ने साबिक खसरा नंबर 433 से हाल खसरा नंबर 878 रकबा 0.74 हैक्टेयर व अन्य खसरा नंबर बनना अंकित किया है। हाल खसरा 878 रकबा 0.74 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रही है। उक्त भूमि का रकबा 0.74 हैक्टेयर में से 0. 16 हैक्टेयर भूमि कम करके बट्टा नंबर अंकित नही किया प्रार्थी को साबिक खसरा नंबर 433 से बने हाल खसरा नंबर 878 रकबा 0.74 हैक्टेयर एवं अन्य खसरा नंबर संपूर्ण ही प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रहे है जो कि साबिक रकबे से 0.05 हैक्टेयर ज्यादा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 878/1233 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी के साबिक खसरा नंबर 433 का भाग नही है बल्कि खसरा नंबर 434 का भाग होना के कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी में दर्ज हुई है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 काबिज होकर काश्त कर सरकार को लगान अदा करते आ रहे है। प्रार्थी ने उक्त मद में दौराने भू-प्रबध रेकार्ड ऑफ राईट में परिवर्तन करने का कथन गलत अंकित किया है। प्रार्थी के साबिक खसरा नंबर 433 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का हैक्टेयर स्केल के अनुसार रकबा 1.14 हैक्टेयर बनता है लेकिन दौरोन भू-प्रबंध प्रार्थी को हाल खसार नंबर खसरा नंबर 877, 878, 879, 880, 881, 882, 885/1232, 983/1231 कुल किता 8 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर की खातेदारी दी गई जो साबिक से 0.05 हैक्टेयर अधिक की खातेदारी दर्ज है। यहां यह निवेदन किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी ने दौराने भू-प्रबंध साबिक खसरा नंबर 433 में बने हाल खसरा नंबर 878, 881 में से अधिकांश हिस्से का विक्रय कर दिया तथा शेष रकबा जेडीए की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के साबिक रकबे में 0.05 हैक्टेयर भूमि अधिक होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की भूमि में अनावश्यक रूप से विवादित बनाए रखने एवं हैरान परेशान करने की गरज से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने उक्त मद में साबिक नक्शा ट्रेस के किस खसरा नंबर में रास्ता अंकित है। कही अंकित नही किया है मौके पर रास्ता नही है इस प्रकार

सहायक कलक्टर
जयपुर ... द्वितीय

Scanned by CamScanner

रास्ते बाबत उक्त मद में वर्णित कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। खसरा नंबर 878/1233 रकबा 0.16 हैक्टैयर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। जिसका अप्रार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी की उक्त खसरा नंबर की भूमि में कोई मेड़ नही है। चूंकि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का बेचान कर दिया जो मौके पर प्लाटिग आवासीय भूखण्ड के रूप में है। प्रार्थी ने उक्त मद में दिनांक 05.05.2015 की घटना मनगढंत काल्पनिक बेबुनियादी अंकित कर महज झुंठा वाद कारण लेने की गरज से उक्त मद में कथन अंकित किये है। जब खसरा नंबर 878 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 काबिज काश्त है, ऐसी स्थिति में कब्जा करने का कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। कानूनन भी कब्जे काश्त के अभाव में घोषणा का वाद मेंटनेबल नही होने कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के साबिक खसरा नंबर 433 से हाल खसरा नंबर 878/1233 रका 0.16 हैक्टेयर बनने का कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी ने वादपत्र की मद संख्या 1 में साबिक खसरा नंबर 433 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 877 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 877, 878, 879, 880, 881, 882, 885/1232, 983/1231 कुल किता 8 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर बनना अंकित है जिसकी पुष्टि भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी क्षेत्रफल तुलनात्मक से भी होती है। इस प्रकार वादपत्र के मद संख्या 1 में वर्णित तथ्यो एवं भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। खसरा नंबर 878/1233 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि साबिक खसरा नंबर 433 का भाग नही है ओर ना ही उक्त खसरा नंबर 878/1233 खसरा नंबर 878 में कम करके अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम जोडा गया। उक्त खसरा नंबर 878 का रकबा 0.74 हैक्टेयर है जो वर्तमान में प्रार्थी के केता एवं जेडीए के नाम खातेदारी में दर्ज है, मौके पर प्लाटिंग के रूप में आवासीय भूखण्ड है। खसरा नंबर 878/1233 रकबा 0.16 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी का उक्त खसरा नंबर की भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। इस कारण से प्रार्थी कब्जे काश्त के अभाव में खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी ने उक्त मद में दिनांक 05.05.2015 की घटना मनगढंत काल्पनिक महज झुंठा वाद कारण लेने की गरज से अंकित की है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 878/1233 रकबा 0.16 हैक्टेयर के काबिज रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए प्रथम दृष्टयां केस व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में सबल है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तोजात व न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में यह उल्लेख किया गया है कि उसकी आराजी के साबिक खसरा नंबर 433 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा थे जिसके हाल भू–प्रबंध में कुल किता 8 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर बने है। जिसके बाबत पत्रावली में सलंग्न राजस्व रेकार्ड जमाबंदी से भी पुष्टि होती है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के साबिक खसरा नंबर से हाल खसरा नंबर बनाये जाते समय 0.28 हैक्टैयर भूमि ज्यादा अंकित करना बताया है, जिसका जवाब अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 5 एवं उसकी पत्नि द्वारा अलग–अलग पंजीकृत विक्रय पत्र से अन्य खसरा नंबर जिसका पुराना खसरा नंबर 377/463 रकबा 17 बीघा भूमि क्रय की है, जो दौराने सेटलमेंट 0.23 हैक्टैयर भूमि कम कर दी गयी है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित खसरा नंबरान के संपूर्ण काश्तकारान को भी प्रार्थी ने पक्षकार प्रकरण में संयोजित नही किया है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का साबिक खसरा नंबर से हाल खसरा नंबर से रकबा कम नही हुआ है। बल्कि 0.05 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। यद्यपि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद का निर्णय पक्षकारान के साक्ष्य सबूत आने के बाद ही वाद निर्णय होना है। क्योकि अप्रार्थीगण आराजी खसरा नंबर 877/1233 के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है, रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नही समझते है। इसलिए प्रथम दृष्टयां मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.01.17 13:17:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: